न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–8, बरेली।

प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र सं0–1197/2019
राजेन्द्र कुमार   बनाम   रूकमसिंह।
                                                        थाना–कैण्ट
                                                        जिला–बरेली।

दिनांक 22.01.2020

पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात् आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना–पत्र समर्थित शपथ–पत्र प्रार्थी की ओर से इस कथन से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने रूकमसिंह के हक में दिनांक 09.09.2019 को कृषि भूमि वाकै ग्राम पालपुर कमालपुर परगना तहसील व जिला बरेली के खेत नं0–1574 रकवई 0.1390 हेक्टेयर का बैनामा रजि0 कार्यालय बरेली में किया था, मुवलिग 3,00,000/–रूपये में विपक्षी के हक में किया था, जिसमें मुवलिग एक लाख रूपये का चेक दिया था तथा 1,67,000/–रूपये नकद वरवक्त बैनामा पर दिया तथा 33,000/–रूपये घर पर देने का वायदा किया था। घर आने पर प्रार्थी ने विपक्षी से 33 हजार रूपये मांगे, तो उसने दो चार दिन रूकने को कहा, लेकिन उसके बाद भी रूपये नहीं दिये। दिनांक 23.09.2019 को सुबह 10 बजे प्रार्थी अपने उक्त रूपये विपक्षी से मांगने गया तथा प्रार्थी के साथ ग्राम लखौरा के थाना कैण्ट बरेली के प्रधान अनोखेलाल, बालकराम पुत्र जोगराज के सामने विपक्षी ने प्रार्थी को बुरी–बुरी गालियां देकर कहा कि साले में तुम्हें कोई रूपया नहीं दूंगा ज्यादा मांग की तो तुझे जान से मार दूंगा। विपक्षी रूकमसिंह ने कातिब व गवाहान सत्यपाल व प्रेमपाल के सामने 33 हजार रूपये घर चलकर देने का वायदा किया था। विपक्षी हेकड़ी व बदमाशी के बल पर प्रार्थी के 33 हजार रूपये हड़ना चाहता है। प्रार्थी ने घटना के संबंध में थाना कैण्ट में तहरीर दी कार्यवाही न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्रार्थना–पत्र दिया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

थाने की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी ने रूकमसिंह के हक में दिनांक 09.09.2019 को कृषि भूमि वाकै ग्राम पालपुर कमालपुर परगना तहसील व जिला बरेली के खेत नं0–1574 रकवई 0.1390 हेक्टेयर का बैनामा रजि0 कार्यालय बरेली में किया था, मुवलिग 3,00,000/–रूपये में विपक्षी के हक में किया था, जिसमें मुवलिग एक लाख रूपये का चेक दिया था तथा 1,67,000/–रूपये नकद वरवक्त बैनामा पर दिया तथा 33,000/–रूपये घर पर देने का वायदा किया था। घर आने पर प्रार्थी ने विपक्षी से 33 हजार रूपये मांगे, तो उसने दो चार दिन रूकने को कहा, लेकिन उसके बाद भी रूपये नहीं दिये। दिनांक 23.09.2019 को सुबह 10 बजे प्रार्थी अपने उक्त रूपये विपक्षी से मांगने गया तथा प्रार्थी के साथ ग्राम लखौरा के थाना कैण्ट बरेली के प्रधान अनोखेलाल, बालकराम पुत्र जोगराज

के सामने विपक्षी ने प्रार्थी को बुरी–बुरी गालियां देकर कहा कि साले में तुम्हें कोई रूपया नहीं दूंगा ज्यादा मांग की तो तुझे जान से मार दूंगा। विपक्षी रूकमसिंह ने कातिब व गवाहान सत्यपाल व प्रेमपाल के सामने 33 हजार रूपये घर चलकर देने का वायदा किया था। विपक्षी हेकड़ी व बदमाशी के बल पर प्रार्थी के 33 हजार रूपये हड़ना चाहता है। **उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को हुये बैनामे की कोई भी प्रति इस स्तर पर पत्रावली में दाखिल नहीं की गयी है।** तथापि आवेदक को घटना के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी है, जिसके संबंध में वह स्वयं साक्ष्य देने में सक्षम है। अस्तु अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ए0सी0आर0आर0 2001(2) पेज 1350, चन्द्रिका सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.सी.सी.2007(58) पेज 777 एवं सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2007 (6) ए.एल.जे. 424 (डबल बेन्च) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा पारित विधिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित और न्यायसंगत है।

आदेश

प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र सं0–1197/2019, राजेन्द्र कुमार बनाम रूकमसिंह अन्तर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक 28.02.2020 को पेश हो।

दिनांक 22.01.2020

(यशवन्त कुमार सरोज)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–8, बरेली।